सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-6342/JH/453/2025-RO-RNC/RU-IV

दिनांक : 17.02.2026

सेवा,

1 **उपायुक्त**
जिला - गढ़वा,
कलेक्ट्रेट भवन
झारखंड 822120
Email Id: dc-gar@nic.in

2 **पुलिस अधीक्षक**
जिला - गढ़वा,
एस.पी. कार्यालय
झारखंड 822120
Email Id: sgggarhwa@jharkhand.nic.in

विषय: अभ्यावेदक श्री सुकन उरांव, ग्राम - तिवारी मरहटिया टोला - खड़िया पो.- तिलदाग प्रखण्ड एवं जिला - गढ़वा (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "आदिवासी खतियानी जमीन पर गैर आदिवासियों द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा करने" के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(signature)

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री सुकन उरांव,
ग्राम - तिवारी मरहटिया टोला - खड़िया
पो.- तिलदाग प्रखण्ड एवं जिला - गढ़वा (झारखंड) - 822114,
Mobile No:8340204934

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F. No. NCST/DEV-6342/JH/453/2025-RO-RNC/RU-IV

श्री सुकन उरांव, ग्राम - तिवारी मरहटिया टोला - खड़िया पो.- तिलदाग प्रखण्ड एवं जिला - गढ़वा (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "आदिवासी खतियानी जमीन पर गैर आदिवासियों द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा करने" के अभ्यावेदन के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में लोक नायक भवन , खान मार्केट, नई दिल्ली हुई सिटिंग का कार्यवृत्त ।

सिटिंग/ सुनवाई की तिथि:22.01.2026

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार।

अभ्यावेदक श्री सुकन उरांव, ग्राम - तिवारी मरहटिया टोला - खड़िया पो.- तिलदाग प्रखण्ड एवं जिला - गढ़वा (झारखंड) ने आयोग को लिखित शिकायत किया है कि ग्राम - तिवारी मरहटिया टोला - खड़िया पो.- तिलदाग प्रखण्ड एवं जिला - गढ़वा में उनके परदादा श्री मिटकु उरांव के नाम से खतियानी जमीन है। उस जमीन को गैर आदिवासियों द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा करके हाल सर्वे में नया खतियान बनवाकर डिमाण्ड चालू करा लिया है। अभ्यावेदक ने उनकी जमीन को कब्ज़ा मुक्त कराने का अनुरोध किया ।

2. प्रकरण में तथ्यों की जानकारी हेतु एवं कार्यवाही करने हेतु आयोग द्वारा उपायुक्त, जिला गढ़वा, झारखंड, को **दिनांक 11.12.2024 को नोटिस** जारी किया गया।

3. उपायुक्त, गढ़वा ने कथित मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उनके पत्र दिनांक 19.01.2026 के द्वारा प्रेषित किया है | जिसमे बताया गया है की कथित भूमि "बकासत लगान पाने वाला" है, जिसे आवेदक के पूर्वज मिटकु उरांव को मात्र 9 वर्षों के लिए ठेका पर 1914 में दिया गया था | मियाद पूर्ण होने पर उक्त जमीन विपक्षीगण के पूर्वजों को वापस हो गई एवं एम.रोल. उनके वंशजों के नाम पर दर्ज है | यह भूमि कई सालों से विवादस्प्रद है | आवेदक एवं उनके पूर्वज विभिन्न नयालयों में जांच उपरांत ख़ारिज किया जा चुका है| माननीय उच्च न्यायालय रांची में भी मामला दर्ज़ था जिसे अस्वीकृत किया जा चूका है | पुनः यह मामला आवेदक द्वारा, व्यवहार न्यायलय, गढ़वा में भी दायर किया गया था, जहाँ से भी यह ख़ारिज कर दिया गया है | विवाद एवं तनाव की स्थिथि अभी भी कायम है |

4. मामले में अभ्यावेदक के अनुरोध पर आयोग में दिनांक 22.01.2026 को सुनवाई निर्धारित की, जिसके लिए तदनुसार संबन्धित प्राधिकारियो को सिटिंग नोटिस 13.01.2026 को जारी किया गया |

5. प्रकरण में 22.01.2026 के सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी ,गढ़वा, आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, एंव शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा विरस्तृत चर्चा हुई। जिले में विधिव्यवस्था में व्यस्तता - के कारणउपायुक्त, गढ़वा ने सुनवाई में शामिल होने से छूट का अनुरोध किया, एवं श्री मोसफी आलम अंचल अधिकारी, गढ़वा को अपने स्थान पर प्राधिकृत किया है |

6. सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा बताया गया की जिला प्रशासन द्वारा कथित मामले में जांच किया गया एवं यह पाया गया कि उकत भूमि पर आवेदक (एवं विभिन्न उरांव जाती के रैयतों) द्वारा

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

खतियान के आधार पर एवं द्वितीय पक्ष (तिवारी समुदाय) एम.रोल के आधार पर दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, जो सालों से विवादग्रस्द है | अभ्यावेदकों ने अपना पक्ष रखते हुए बताया की वो कथिक भूमि पर पिछले चार पीढ़ियों से रह रहे हैं एवं खेती कर रहे हैं| उन्हें जबरदस्ती प्रतारित किया जा रहा है एवं उनके लगे हुए फसलों को नष्ट भी किया जा रहा है |

7. **मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:**

1. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि जनजातीय याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार से जबरन बेदखल न किया जाए तथा उनके कब्जा, अधिभोग एवं संपत्ति अधिकारों का खतियान/केवट अभिलेखों के आधार पर विधिवत संरक्षण किया जाए, जिससे उनके वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो। साथ ही, जिला प्रशासन परिवार वृक्ष (Family Tree) स्थापित कर आवेदक/अभ्यावेदक के दावे की पुनः जाँच कर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. जिला प्रशासन एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा (सदर), यह सुनिश्चित करें कि संबंधित भूमि अभिलेखों में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किए जाएँ।
3. मामले में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट 30 दिवस में आयोग को प्रेषित की जाए |

आशा लकड़ा
10/02/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-6342/JH/453/2025-RO-RNC/RU-IV

Sitting to be held on **22.01.2026 at 02.00 P.M-** अभ्यावेदक **श्री सुकन उरांव**, ग्राम - तिवारी मरहटिया टोला - खड़िया पो.- तिलदाग प्रखण्ड एवं जिला - गढ़वा (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "आदिवासी खतियानी जमीन पर गैर आदिवासियों द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा करने" के संबंध में ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Mrs. Sonal Raj Sr. Investigator		
5.	Shri Rahul Investigator		
6.	Ms. Riya Investigator		
7.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
8.			
9.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Garhwa, Jharkhand**		
1.			
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Superintendent of Police, Garhwa, Jharkhand**		
1.	Safi Alam C.O. Garhwa	9560163463	[illegible] 22/01/26
2.			
3			
IV	**Petitioners**		
	सुकन उराँव	~~98018~~ 9102039238	
	[illegible] Oraon	8340204934	[illegible] Oraon
	Omprakash oraon	8292248709	omprakashoraon